

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में सेटलाइट टाउन्स योजनान्तर्गत जनपद गाजियाबाद के पिलखुवा नगर में जीआईएस बेस मैप एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु प्राप्त केन्द्रांश की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमओयू/196/से0टा0यो0/12-17, दिनांक 17.02.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित सेटलाइट टाउन्स योजनान्तर्गत पिलखुवा नगर में जीआईएस बेस मैप एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु भारत सरकार द्वारा परियोजना की निर्धारित लागत रू0 29.30 लाख के सापेक्ष शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-के-14011/15/2011-यूडी-III, दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश रू0 7.32 लाख (रू0 सात लाख बत्तीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उओप्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी तथा हरित धनराशि को यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नगरीय निकाय/एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (6) निर्धारित मर्दों में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, शासन तथा महालेखाकार, उओप्र0, इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत- आयोजनागत- "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 65/2017/689/नौ-5-2017-6बजट/2017 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- गण्डलायुक्त, मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, हापुड।
- 4- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद हापुड।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
- 8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 9- कम्प्यूटर सेल/मुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।